पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक [illegible] को पेश हो

ज अदालत ....

....

स्म मुकदमा ....

तारीख हुक्म | हु

19/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 23/1/24 को पेश हो।

प्रा0 पत्र 706/2023

मालाराम बनाम भूमिधारी

23/1/2024 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.न. 624/101, 640/99, 645/105 किता 3 रकबा 0.375 हैक्ट. का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि का 04.07.2023 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम काचरेड़ा पटवार हल्का रायपुर पाटन तहसील पाटन स्थित खसरा नं. 624/101, 640/99, 645/105 किता 3 रकबा 0.375 हैक्ट. प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयागण बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम काचरेड़ा पटवार हल्का रायपुर पाटन तहसील पाटन स्थित खसरा नं. 624/101, 640/99, 645/105 किता 3 रकबा 0.375 हैक्ट. की प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 04.07.2023 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का व्यवधान अथवा बाधा हो तो इस हेतु तहरीर जारी कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 14:19:25 IST
Reason: Self Attested